फर्द अहकाम

कल्याण सहाय बनाम सरकार वगैरह

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर

केस संख्या 45/2018

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	18/8/23	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के मूल प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर निर्णित किया जाता है अतः अब इस स्थगन प्रार्थना पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है अतः स्थगन प्रा० पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नियमानुसार बाद दर्ज होकर दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़, जिला-जयपुर